

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-05/स्था०(आरोप)-03/2014...../परि० पटना, दिनांक.....

जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) के पत्रांक 93 दिनांक 13.01.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मो० कासिम अंसारी, प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त, भोजपुर(आरा) को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 05/स्था०(आरोप)-03/2014 518

पटना, दिनांक 24/1/2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा), जिला परिवहन पदाधिकारी, आरा एवं श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, प्रभारी, जिला पदाधिकारी, आरा/संयुक्त आयुक्त-सह-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/मो० कासिम अंसारी, प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, भोजपुर(आरा)/मोटरयान निरीक्षक भोजपुर (आरा)/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग/प्रभारी सहायक स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/1/14

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना